


2/23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगूण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार खक-खक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फॉसल शुमार होर नम्बर से कम है।


उपलब्ध अधिकारी
मांडल जिला धौलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुआ

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

ख्या- 192/22 प्रापत्र

रघुनाथ लाल उदा जाट निवासी- वाण्य कीरवेडी तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

बालु लाल उदा जाट निवासी- वाण्य कीरवेडी तहसील-माण्डल (सुदंष्टि प्रापत्र स्वल्प)

-विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 07-02-23

::आदेश::

में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ग्राम वाण्यकीरवेडी पटवार हल्का वागौर II तहसील माण्डल में उसके खाले की आराजी नं 2360, 2361, 2400, 2404/7138 कुल किताना 04 रकबा 2.2257 है। बादप्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाले/संयुक्त खाले की भूमि की आदेश प्रदान कराये जायें।

ना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.12.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को से यह बात सिद्ध है कि बादप्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम वाण्यकीरवेडी पटवार वागौर II तहसील माण्डल में उसके खाले/संयुक्त खाले की आराजी नं 2360, 2361, 2400, 2404 कुल किताना 04 रकबा 2.2257 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुष्टी जांचकार 04 हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख वागौर II को 900/- रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने की मौजूदगी में मौफे व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार पत्थरगढ़ी की जायें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार में जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।